

[2023] 6 एस. सी. आर 546

सेंथीबालाजी वी.

बनाम्

ए. पी. गीथा और अन्य

(2023 की सिविल अपील संख्या 3895-3896)

19 मई, 2023

[अभय एस. ओका, न्यायाधीश और राजेश बिंदल, न्यायाधीश]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 धारा 83, 123-कथित भ्रष्ट आचरण से संबंधित चुनाव याचिका में भौतिक तथ्यों को प्रस्तुत करने में विफलता-अवधारित: धारा- 123 भ्रष्ट आचरण को परिभाषित करता है -धारा 83 (1) (ए) आदेश देता है कि एक चुनाव याचिका में भौतिक तथ्यों का एक संक्षिप्त बयान होना चाहिए-जब आरोप भ्रष्ट व्यवहार का होता है, तो धारा 83 (1) (ए) का पालन करने के लिए भ्रष्ट अभ्यास का गठन करने वाले बुनियादी तथ्यों का अनुरोध किया जाना चाहिए।-वर्तमान मामले में, ऐसे संक्षिप्त तथ्यों का बिल्कुल भी अनुरोध नहीं किया गया था-बुनियादी तथ्यों का अनुरोध केवल यह कहते हुए नहीं किया जा सकता है कि जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, उनमें वही स्थान है-कथित भ्रष्ट आचरण से संबंधित भौतिक तथ्यों का अनुरोध करने में विफलता चुनाव याचिका के लिए घातक है-क्योंकि भ्रष्ट आचरण के आरोपों के बारे में भौतिक तथ्यों का अनुरोध नहीं किया गया था, चुनाव याचिका में कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया गया है जहां तक भ्रष्टाचार के आधार का संबंध है-इसके अलावा, नामांकन पत्र की अनुचित स्वीकृति का आधार भी भौतिक तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं है-किसी भी मामले में, उक्त आधार अब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि अपीलकर्ता की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है-चुनाव याचिका को लंबित रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा-

विवादित निर्णय- अलग कर दिए गए हैं। अपीलार्थी द्वारा याचिका रद्द करने का दायर आवेदन एवं/या असंदर्भित कंडिकाओं को हटाने के लिए, स्वीकृत किया गया। प्रथम प्रतिवादी द्वारा दायर चुनाव याचिका खारिज की जाती है-1908 की दीवानी प्रक्रिया संहिता आदेश VI नियम 16.

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951-भौतिक तथ्य-कहने की आवश्यकता, इसका पालन न करने का प्रभाव: अभिनिर्धारित किया गया:भौतिक तथ्य प्राथमिक तथ्य हैं जिन्हें कार्रवाई के कारण के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए एक पक्ष द्वारा परीक्षण पर साबित किया जाना चाहिए-भौतिक तथ्यों को बताने की आवश्यकता का पालन न करने के परिणामस्वरूप याचिका को प्रारम्भ में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 उक्त अधिनियम के उद्देश्य के लिए विभिन्न भ्रष्ट प्रथाओं को परिभाषित करती है। भ्रष्टाचार को चुनाव याचिका में चुनौती का चुनावी विषय होना चाहिए। कंडिका 5 में, पहली प्रत्यर्थी ने निर्वाचन अधिकारी को अपने द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर भरोसा करते हुए कहा है कि अपीलार्थी और छठे प्रत्यर्थी ने आदेश तिथि 27 मई 2016 में दर्ज चुनाव आयोग के निष्कर्षों को दबाकर कदाचार किया है। संभवतः, याचिका का कंडिका 5 अपीलार्थी के नामांकन पत्रों की अनुचित स्वीकृति के आधार के समर्थन में है। हालांकि, पहले प्रतिवादी ने यह दलील नहीं दी है कि एक विशेष वैधानिक प्रावधान के तहत, अपीलकर्ता और छठे प्रतिवादी नामांकन पत्र दाखिल करते समय चुनाव आयोग द्वारा 27 मई 2016 को पारित आदेश का खुलासा करने के लिए बाध्य थे। यह अनुरोध नहीं किया जाता है कि उक्त आदेश का खुलासा करने में विफलता के आधार पर, अपीलार्थी और छठे प्रतिवादी को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य कैसे ठहराया गया। अयोग्यता एक वैधानिक प्रावधान पर आधारित होनी चाहिए। प्रथम प्रत्यर्थी ने यह दलील नहीं दी है कि कानूनी रूप से यह अपीलार्थी का दायित्व था कि वह नामांकन पत्र में चुनाव आयोग के पहले के आदेश का खुलासा करे

जिसके द्वारा चुनाव स्थगित कर दिया गया था। इस तरह के किसी दायित्व के अस्तित्व का अनुरोध नहीं किया जाता है। इसलिए, चुनाव याचिका के कंडिका संख्या- 4 एवं 5 में किए गए कथन अनावश्यक हैं, जिससे दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश VI के नियम 16 का खंड (ए) आकर्षित होता है। सी. पी. सी. के आदेश VI के नियम 16 के खंड (ए) के तहत, न्यायालय के पास एक अभिवचन को खारिज करने की शक्ति है जो अनावश्यक है। [पैरा 9,11] [553-जी; 554-ए, सी-एच]

1.2 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 भ्रष्ट प्रथाओं को परिभाषित करती है। पैराग्राफ 6 और 7 में, धारा 123 द्वारा कवर की गई किसी भी भ्रष्ट प्रथाओं का स्पष्ट विवरण भी नहीं दिया गया है। भ्रष्ट व्यवहार की प्रकृति का भी वर्णन नहीं किया गया है सिवाय एक आधारहीन आरोप लगाने के कि कंडिका 6 में उल्लिखित अभ्यावेदनों में, पहले प्रतिवादी ने अपीलार्थी की ओर से चुनावी कदाचार, भ्रष्ट व्यवहार और रिश्तखोरी का उल्लेख किया है। धारा 83 की उप-धारा (1) के खंड (ए) में आदेश दिया गया है कि एक चुनाव याचिका में भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए। जब भ्रष्ट आचरण के आरोप लगे। धारा 83 की उप-धारा (1) के खंड (ए) का अनुपालन करने के लिए भ्रष्ट आचरण का गठन करने वाले बुनियादी तथ्यों का अनुरोध किया जाना चाहिए। इस मामले में, इस तरह के संक्षिप्त तथ्यों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया जाता है। बुनियादी तथ्यों को केवल यह कहकर पेश नहीं किया जा सकता है कि जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, उनमें भी ऐसा ही है। प्रथम प्रतिवादी ने केवल यह कहा है कि अभ्यावेदन की सामग्री को याचिका के एक भाग के रूप में पढ़ा जा सकता है। यह भौतिक तथ्यों के संक्षिप्त विवरण को शामिल करने की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। इसके अलावा, जब आरोप भ्रष्ट आचरण का होता है, तो कार्यवाही लगभग अर्ध-आपराधिक हो जाती है। इसलिए, निर्वाचित उम्मीदवार को अपने खिलाफ जो आरोप लगाया गया है, उसकी पर्याप्त सूचना मिलनी चाहिए। यही कारण है कि भ्रष्ट आचरण के आधार से संबंधित भौतिक तथ्यों का अनुरोध किया जाना चाहिए। इस तरह की याचिका का परिणाम बहुत गंभीर है। यह लोगों के एक लोकप्रिय निर्वाचित प्रतिनिधि को बाहर कर सकता है। इसलिए,

भौतिक तथ्यों को बताने की आवश्यकता का पालन न करने के परिणामस्वरूप याचिका को शुरु से खारिज कर दिया जाना चाहिए। [पैरा 13] [556-बी-एफ]

1.3 कथित भ्रष्ट आचरण के संबंध में भौतिक तथ्यों को प्रस्तुत करने में विफलता चुनाव याचिका के लिए घातक है। भौतिक तथ्य प्राथमिक तथ्य हैं जिन्हें कार्रवाई के कारण के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए एक पक्ष द्वारा परीक्षण पर साबित किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, याचिका में किए गए कथनों को उसी तरह ध्यान में रखते हुए, 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के अंतर्गत आने वाले भ्रष्ट आचरण के आरोप को एक भी भौतिक तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। [पैरा 15] [558-बी-सी]

धरतिपकर मदन लाल अग्रवाल बनाम राजीव गांधी (1987) सप एस. सी. सी. 93:[1987] एससीआर 369; वी. एस. अच्युतानंदन बनाम पी. जे. फ्रांसिस और एक अन्य (1999) 3 एससीसी 737:[1999] 2 एससीआर 99-पर भरोसा किया गया।

1.4 कंडिकाएँ 3 और 4 अनावश्यक हैं, जो चुनाव घोषित होने के बाद हुई किसी घटना से संबंधित नहीं हैं। इसलिए, उक्त कंडिकाओं को अप्रासंगिक होने के कारण दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश VI के नियम 16 के तहत हटाने का आदेश देना होगा। कंडिका 5 कार्रवाई के कथित कारण के लिए सामग्री नहीं है। कंडिका 6,7 और 9 भ्रष्ट प्रथाओं के आरोपों के संबंध में किसी भी भौतिक तथ्य का खुलासा नहीं करते हैं। चूंकि भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में भौतिक तथ्यों का अनुरोध नहीं किया गया है, इसलिए जहाँ तक भ्रष्टाचार के आधार का संबंध है, याचिका कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करती है। इसलिए, ये कंडिकाएँ भी हटाने के लायक हैं। नामांकन पत्र की अनुचित स्वीकृति का आधार भौतिक तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं है। किसी भी मामले में, नामांकन पत्र की अनुचित स्वीकृति का आधार अब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि अपीलार्थी का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। इसलिए, दर्ज किए गए निष्कर्षों को देखते हुए, चुनाव याचिका को लंबित रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तदनुसार, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को

दरकिनार कर दिया जाता है और याचिका की अस्वीकृति और/या अप्रासंगिक कंडिकाओं को हटाने के लिए अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदनों की अनुमति दी जाती है। [पैरा 21] [561-एफ-जी; 562-ए-बी]

एम. करुणानिधि बनाम एच. वी. हांडे और अन्य (1983) 2 एससीसी 473:[1983] 2 एससीआर 629; मुलायम सिंह यादव बनाम धरम पाल यादव और अन्य। (2001) 7 एससीसी 98: [2001] 3 एस. सी. आर. 1103; पोन्नला लक्ष्मैया बनाम कोम्मुरी प्रताप रेड्डी और अन्य (2012) 7 एससीसी 788: [2012] 6 एससीआर 851; बलवान सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण और अन्य [1960] 3 एस. सी. आर. 91-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1987] एससीआर 369	भरोसा किया	
कंडिका 6		
[1983] 2 एससीआर 629	भरोसा किया	कंडिका 6
[2001] 3 एससीआर 1103	भरोसा किया	कंडिका 6
[1999] 2 एससीआर 99	भरोसा किया	
कंडिका 8		
[2012] 6 एससीआर 851	भरोसा किया	कंडिका 8
[1960] 3 एस. सी. आर. 91	भरोसा किया	कंडिका 8

2017 के ओ. ए. सं. 653 और 654 में मद्रास में उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 23.02.2018 से।

रंजीथ कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, सेंटिल जगदीशन, सजल जैन, सुश्री सोनाक्षी मल्हन। अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता।

बालाजी श्रीनिवासन, डी. रघु, के. कथिरेसन, देवमशु बहल, एस. सी. वी. विमल पानी, ए. लक्ष्मीनारायणन, अमित शर्मा, दीपेश सिन्हा, सुश्री पल्लवी, सुश्री साक्षी उपाध्याय, सुश्री अपर्णा सिंह, डी. कुमानन, श्रीमती दीपा एस, शेख एफ कालिया, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय अभय एस. ओका, न्यायाधीश के इनके द्वारा दिया गया था

तथ्यात्मक पहलुएँ-

1. ये अपीलें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में, '1951 का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम') की धारा 81 के तहत पहले प्रतिवादी द्वारा दायर एक चुनाव याचिका से उत्पन्न होती हैं। मद्रास उच्च न्यायालय में पहले प्रतिवादी द्वारा 134-अरावाकुरिची विधानसभा क्षेत्र (संक्षेप में, "उक्त निर्वाचन क्षेत्र") के चुनाव की वैधता पर सवाल उठाते हुए चुनाव याचिका दायर की गई थी। मतदान 19 नवंबर 2016 को हुआ था और परिणाम 22 नवंबर 2016 को घोषित किया गया था। वर्तमान अपीलार्थी प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा दायर चुनाव याचिका में पाँचवाँ प्रत्यर्थी है। वर्तमान अपीलार्थी को निर्वाचित घोषित किया गया था। उन्हें 88,068 वोट मिले थे। चुनाव याचिका में छठे प्रतिवादी (इस अपील में छठे प्रतिवादी) को 64,407 वोट मिले। केवल 82 मतदाताओं ने पहले उत्तरदाता (चुनाव याचिकाकर्ता) के लिए मतदान किया।

2. चुनाव याचिका में चुनौती का पहला आधार अपीलार्थी और छठे प्रतिवादी के नामांकन पत्रों की अनुचित स्वीकृति है। चुनौती का दूसरा आधार यह है कि चुनाव अमान्य है क्योंकि अपीलार्थी भ्रष्ट आचरण में लिप्त रहा है। आरोप यह है कि अपीलार्थी के प्रतिनिधि और कुछ अन्य व्यक्ति अपीलार्थी की सहमति से भ्रष्ट आचरण में लिप्त रहे हैं।

3. वर्तमान अपीलार्थी द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ एक आवेदन किया गया था जिसमें कहा गया था कि भ्रष्टाचार के आधार के समर्थन में चुनाव याचिका में कार्रवाई का कोई कारण निर्धारित नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा यह प्रस्तुत

किया गया था कि प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा दायर चुनाव याचिका भ्रष्ट आचरण के आरोप के बारे में किसी भी भौतिक विवरण और भौतिक तथ्यों का खुलासा नहीं करती है। यह तर्क दिया गया कि कंडिकाएँ 3 से 9 में लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं और इसलिए, उक्त पैराग्राफ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में, 'सी. पी. सी.') के आदेश VI के नियम 16 के तहत शक्ति का प्रयोग करके खारिज किए जाने के योग्य हैं। दूसरी प्रार्थना इस आधार पर चुनाव याचिका की अस्वीकृति के लिए थी कि वह कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करती है। छठे प्रतिवादी द्वारा भी इसी तरह का आवेदन दायर किया गया था। विवादित निर्णय द्वारा, मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने आवेदनों को खारिज कर दिया। ऐसा करते समय, उन्होंने देखा कि पहले उत्तरदाता ने एक कॉम्पैक्ट डिस्क, तस्वीरों आदि की प्रतियां निर्वाचन अधिकारी (5 वें उत्तरदाता) को भेज दी थीं। विद्वान न्यायाधीश ने प्रथम प्रतिवादी को आदेश के 15 दिनों की अवधि के भीतर निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किए गए सभी प्रासंगिक दस्तावेज जैसे ईमेल, तस्वीरें, वीडियो फुटेज आदि दाखिल करने का निर्देश दिया। अपीलार्थी ने इस अपील के माध्यम से 23 फरवरी 2018 के उक्त निर्णय और आदेश को चुनौती दी है।

प्रस्तुतियाँ:-

4. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रंजीथ कुमार ने 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 83 की उप-धारा (1) के खंड (ए) और (बी) की आवश्यकता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें निर्वाचन याचिका में भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण और किसी भी भ्रष्ट प्रथा का पूरा विवरण शामिल किया गया है जो कथित रूप से लौटे उम्मीदवार द्वारा किया गया है। उन्होंने बताया कि धारा 83 की उप-धारा (1) के खंड (बी) में यह भी कहा गया है कि चुनाव याचिकाकर्ता को इस तरह की भ्रष्ट प्रथा को अंजाम देने वाले कथित पक्षों के नामों और इस तरह की प्रथा को करने की तारीख और स्थान का खुलासा करते हुए पूरा बयान देना होगा। विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी बताया कि शुरू में उक्त निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव मई 2016 में होना था। 14 मई 2016 के आदेश द्वारा, भारत के चुनाव

आयोग ("चुनाव आयोग") ने उक्त चुनाव को स्थगित कर दिया। चुनाव आयोग द्वारा 27 मई 2016 को एक और आदेश पारित किया गया था जिसमें कहा गया था कि उक्त निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए ताकि नए सिरे से चुनाव कराए जा सकें। तदनुसार, 17 अक्टूबर 2016 को निर्वाचन आयोग ने उक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव को पुनर्निर्धारित किया और घोषणा की कि मतदान 19 नवंबर 2016 को होगा। उन्होंने बताया कि पहले प्रतिवादी ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसमें अपीलार्थी और छठे प्रतिवादी के नामांकन पत्रों की स्वीकृति को चुनौती दी गई थी। उन्होंने बताया कि 18 नवंबर 2016 के फैसले और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने पहले प्रतिवादी द्वारा दायर उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया और पहले प्रतिवादी पर जुर्माना लगाया।

5. प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा दायर चुनाव याचिका में किए गए कथनों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए, उन्होंने बताया कि चुनाव याचिका के कंडिकाएँ 3 और 4 में चुनाव की घोषणा और उसके बाद के स्थगन का इतिहास दिया गया है। कंडिकाएँ 5 इस तथ्य को संदर्भित करता है कि छठे प्रतिवादी के नामांकन पत्रों की वैधता को चुनौती देने के लिए पहले प्रतिवादी द्वारा किया गया अभ्यावेदन अपीलार्थी और छठे प्रतिवादी के नामांकन पत्रों की वैधता को चुनौती देने के लिए पहले प्रतिवादी द्वारा दिया गया। अभ्यावेदन को निर्वाचन अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि चुनाव याचिका के कंडिका 6 में, पहले प्रतिवादी ने 17 नवंबर 2016 से 22 नवंबर 2016 तक निर्वाचन अधिकारी को किए गए चार अभ्यावेदनों पर भरोसा किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी ने चुनावी कदाचार, भ्रष्ट व्यवहार और रिश्वत के कृत्य किए हैं। यह आरोप लगाया गया है कि पहले प्रतिवादी ने निर्वाचन अधिकारी को संबोधित ईमेल द्वारा किए गए अभ्यावेदन में आरोपों को साबित करने के लिए निर्वाचन अधिकारी को ऑडियो और वीडियो क्लिपिंग सौंपी। कंडिका 7 में आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी के नामांकन पत्र की अनुचित स्वीकृति के कारण चुनाव का परिणाम दूषित हो जाता है। पैराग्राफ 8 में एक

चार्ट है जो विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा डाले गए संबंधित वोटों को दर्शाता है। कंडिका 9 में, यह आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी और छठे प्रतिवादी की ओर से कदाचार के कारण पिछला चुनाव रद्द कर दिया गया था और उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज चुनाव आयोग के निष्कर्षों को दबा दिया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि चुनाव याचिका के साथ, पहले प्रतिवादी द्वारा किए गए अभ्यावेदन की प्रतियां दाखिल की गईं। उन्होंने आग्रह किया कि कथित भ्रष्ट प्रथाओं के बारे में भौतिक तथ्य और विवरण चुनाव याचिका में नहीं पाए जाते हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा किए गए आवेदनों के आधार पर, उच्च न्यायालय ने पहले प्रतिवादी को ईमेल, तस्वीरों और वीडियो फुटेज की प्रतियां दाखिल करने का निर्देश दिया है जो चुनाव याचिका के साथ दायर दस्तावेजों की सूची में जगह नहीं पाते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि उक्त निर्देश अपने आप में अवैध है।

6. विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया (i) धरतीपकर मदन लाल अग्रवाल बनाम राजीव गांधी (ii) एम. करुणानिधि बनाम एच. वी. हांडे और अन्य का मामला और (iii) मुलायम सिंह यादव बनाम धरम पाल यादव और अन्य। उन्होंने कहा कि एक बार भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित चुनाव याचिका के कंडिका को हटा दिया गया है, चुनाव याचिका में कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि अपीलार्थी का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है और उसके बाद एक नया चुनाव हुआ है।

7. अंत में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा किए गए आवेदनों पर निर्णय लेते समय, उच्च न्यायालय या तो आवेदनों की अनुमति दे सकता था या उन्हें खारिज कर सकता था। लेकिन उच्च न्यायालय ने पहली प्रतिवादी को ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत का निर्देश देकर एक त्रुटियों की जो उसने प्रस्तुत नहीं किए थे।

8. प्रथम प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील श्री बालाजी श्रीनिवासन ने बताया कि भ्रष्टाचार के आरोपों के समर्थन में भौतिक तथ्य पहले से ही चुनाव याचिका में दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पहली प्रतिवादी ने विभिन्न

अधिकारियों को उनके द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर भरोसा किया है जिसमें भ्रष्ट प्रथाओं के विशिष्ट विवरण दिए गए हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जैसा कि भौतिक तथ्यों का पहले ही अनुरोध किया जा चुका है, उच्च न्यायालय ने दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश VI के नियम 16 के तहत अपनी शक्तियों का सही उपयोग नहीं किया। वी. एस. अच्युतानंदन बनाम पी. जे. फ्रांसिस और एक अन्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए वकील ने प्रस्तुत किया कि चुनाव याचिका दायर करने की सीमा की अवधि समाप्त होने पर भी सामग्री विवरण हमेशा बाद में प्रदान किए जा सकते हैं। उन्होंने पोन्नाला लक्ष्मैया बनाम कोम्मुरी प्रताप रेड्डी और अन्य के मामले में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय पर भी भरोसा किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आदेश VII के नियम 11 या दंड प्रक्रिया संहिता के आदेश VI के नियम 16 के तहत आवेदनों पर विचार करते समय, न्यायालय एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपना सकता है। बलवान सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण और अन्य के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले के पैराग्राफ 9 में जो कहा गया है, उस पर भरोसा करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव याचिकाकर्ता को विवरणों को शामिल करने या विवरणों को बढ़ाने के लिए चुनाव याचिका में संशोधन के लिए आवेदन करने का अवसर हमेशा उपलब्ध रहता है। उन्होंने विवादित आदेश की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया और आग्रह किया कि उच्च न्यायालय ने तय किए गए कानूनी सिद्धांतों को सही ढंग से लागू किया है और इसलिए, किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

हमारा दृष्टिकोण

9. हमने प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। हमने प्रथम प्रतिवादी द्वारा दायर चुनाव याचिका का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, निर्वाचन आयोग द्वारा 27 मई 2016 को पारित आदेश के अनुसार उक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव स्थगित कर दिया गया था। चुनाव के लिए चुनौती दो आधारों पर थी। पहला, कि अपीलार्थी का नामांकन अनुचित रूप से स्वीकार किया गया था और दूसरा, अपीलार्थी द्वारा या उसकी सहमति से अन्य

व्यक्तियों द्वारा भ्रष्ट आचरण किए गए हैं। 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 उक्त अधिनियम के उद्देश्य के लिए विभिन्न भ्रष्ट प्रथाओं को परिभाषित करती है। स्वाभाविक रूप से, भ्रष्टाचार को चुनाव याचिका में चुनौती का चुनावी विषय होना चाहिए।

10. अब, पहले उत्तरदाता द्वारा दायर चुनाव याचिका पर आते हुए, कंडिकाएँ 1 और 2 औपचारिक कंडिकाएँ हैं जिनमें पहले उत्तरदाता का पता और उत्तरदाताओं का विवरण होता है। कंडिका 3 केवल यह दर्ज करता है कि 16 अक्टूबर 2016 की एक अधिसूचना द्वारा, चुनाव आयोग ने उक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव की घोषणा की। कंडिका 4 चुनाव आयोग के उस आदेश का हवाला देता है जिसके द्वारा पहले निर्धारित चुनाव को उक्त आदेश में शामिल कारणों के कारण स्थगित कर दिया गया था। कंडिकाएँ 3 और 4 चुनाव याचिका में अनुरोध किए गए आधारों पर निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं।

11. पैराग्राफ 5 में, पहली प्रत्यर्थी ने 3 नवंबर 2016 को निर्वाचन अधिकारी को दिए गए अभ्यावेदन पर भरोसा करते हुए कहा है कि अपीलार्थी और 6 वें प्रत्यर्थी ने 27 मई 2016 के आदेश में दर्ज चुनाव आयोग के निष्कर्षों को दबाकर कदाचार किया है। प्रथम प्रत्यर्थी ने निर्वाचन अधिकारी से अपीलार्थी और छठे प्रत्यर्थी को अयोग्य घोषित करने का आह्वान किया। यह आगे कहा गया है कि अभ्यावेदन को 5 नवंबर 2011 के संचार द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसलिए, पहले प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसे 18 नवंबर 2016 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसमें पहले प्रतिवादी पर 3,000/- रुपये का खर्च था। संभवतः, याचिका का कंडिका 5 अपीलार्थी के नामांकन पत्रों की अनुचित स्वीकृति के आधार के समर्थन में है। हालांकि, पहले प्रतिवादी ने यह दलील नहीं दी है कि एक विशेष वैधानिक प्रावधान के तहत, अपीलकर्ता और छठे प्रतिवादी नामांकन पत्र दाखिल करते समय चुनाव आयोग द्वारा 27 मई 2016 को पारित आदेश का खुलासा करने के लिए बाध्य थे। यह अनुरोध नहीं किया जाता है कि उक्त आदेश का खुलासा करने में विफलता के आधार पर, अपीलार्थी और छठे प्रतिवादी

को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य कैसे ठहराया गया। अयोग्यता एक वैधानिक प्रावधान पर आधारित होनी चाहिए। प्रथम प्रत्यर्थी ने यह दलील नहीं दी है कि कानूनी रूप से यह अपीलार्थी का दायित्व था कि वह नामांकन पत्र में चुनाव आयोग के पहले के आदेश का खुलासा करे जिसके द्वारा चुनाव स्थगित कर दिया गया था। इस तरह के किसी दायित्व के अस्तित्व का अनुरोध नहीं किया जाता है। इसलिए, हमारे विचार में, कंडिकाएँ 4 और 5 में दिए गए कथन अनावश्यक हैं, जिससे दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश VI के नियम 16 का खंड (ए) आकर्षित होता है। सी. पी. सी. के आदेश VI के नियम 16 के खंड (ए) के तहत, न्यायालय के पास एक अभिवचन को खारिज करने की शक्ति है जो अनावश्यक है।

12. हमें 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 83 के आलोक में भ्रष्ट आचरण के बारे में कथनों की जांच करनी होगी जो इस प्रकार हैं:

"83. याचिका की सामग्री- (1) एक चुनाव याचिका -

(ए) में उन भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा जिन पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है;

(बी) याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाए गए किसी भी भ्रष्ट आचरण का पूरा विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें ऐसी भ्रष्ट प्रथा करने के लिए कथित पक्षों के नामों का यथासंभव पूरा बयान और ऐसी प्रत्येक प्रथा के करण की तारीख और स्थान शामिल हैं; और

(सी) याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और अभिवचनों के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाएगा:

[बशर्ते कि जहां याचिकाकर्ता किसी भी भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाता है, याचिका के साथ इस तरह के भ्रष्ट आचरण के आरोप

और उसके विवरण के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में एक हलफनामा भी होगा।]

(2) याचिका की किसी भी अनुसूची या अनुलग्नक पर भी याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और याचिका के समान ही सत्यापित किया जाएगा।”

(जोर दिया गया)

अब हम कंडिकाएँ 6 और 7 पर आते हैं जो इस प्रकार हैं:

"6. याचिकाकर्ता ने चौथे उत्तरदाताओं को 17.11.2016 को दो अभ्यावेदन, 17.11.2016, 19.11.2016, 20.11.2016, 22.11.2016 को दायर किया, जिसमें बताया गया कि 5 वें उत्तरदाता ने चुनावी कदाचार, भ्रष्ट व्यवहार और मतदाताओं को रिश्वत दी। चौथे उत्तरदाता ने अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया। उन्होंने कहा कि पांचवें उत्तरदाता ने चुनाव अभियान के लिए सरकारी वाहनों का इस्तेमाल किया। याचिकाकर्ता ने चौथे प्रतिवादी को इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा अभ्यावेदन में किए गए आरोपों को साबित करने के लिए ऑडियो और वीडियो क्लिपिंग दायर की। वह उपरोक्त अभ्यावेदनों में किए गए अभिकथनों को इस याचिका का हिस्सा मानने के लिए अदालत की अनुमति चाहती है।

7. याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि लौटे उम्मीदवार को उक्त सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था कि उसने भ्रष्ट आचरण किया है और जहां तक चुनाव परिणाम का संबंध 5 वें प्रत्यर्थी से है उसे अपने नामांकन की अनुचित स्वीकृति, भ्रष्ट व्यवहार अवहेलना और उसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव आयोग के पहले के आदेश का खुलासा नहीं करने से भौतिक रूप से प्रभावित किया गया है।”

13. 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 भ्रष्ट प्रथाओं को परिभाषित करती है। कंडिकाएँ 6 और 7 में, धारा 123 द्वारा कवर की गई किसी भी भ्रष्ट प्रथाओं का स्पष्ट विवरण भी नहीं दिया गया है। भ्रष्ट व्यवहार की प्रकृति का भी वर्णन नहीं किया गया है सिवाय एक आधारहीन आरोप लगाने के कि कंडिका 6 में उल्लिखित अभ्यावेदनों में, पहले प्रतिवादी ने अपीलार्थी की ओर से चुनावी कदाचार, भ्रष्ट व्यवहार और रिश्वतखोरी का उल्लेख किया है। धारा 83 की उप-धारा (1) के खंड (ए) में आदेश दिया गया है कि एक चुनाव याचिका में भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए। जब आरोप भ्रष्ट आचरण का होता है, तो धारा 83 की उप-धारा (1) के खंड (ए) का अनुपालन करने के लिए भ्रष्ट आचरण का गठन करने वाले बुनियादी तथ्यों का अनुरोध किया जाना चाहिए। इस मामले में, इस तरह के संक्षिप्त तथ्यों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया जाता है। बुनियादी तथ्यों को केवल यह कहकर पेश नहीं किया जा सकता है कि जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, उनमें भी ऐसा ही है। प्रथम प्रतिवादी ने केवल यह कहा है कि अभ्यावेदन की सामग्री को याचिका के एक भाग के रूप में पढ़ा जा सकता है। यह भौतिक तथ्यों के संक्षिप्त विवरण को शामिल करने की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। इसके अलावा, जब आरोप भ्रष्ट आचरण का होता है, तो कार्यवाही लगभग अर्ध-आपराधिक हो जाती है। इसलिए, निर्वाचित उम्मीदवार को अपने खिलाफ जो आरोप लगाया गया है, उसकी पर्याप्त सूचना मिलनी चाहिए। यही कारण है कि भ्रष्ट आचरण के आधार से संबंधित भौतिक तथ्यों का अनुरोध किया जाना चाहिए। इस तरह की याचिका का परिणाम बहुत गंभीर है। यह लोगों के एक लोकप्रिय निर्वाचित प्रतिनिधि को बाहर कर सकता है। इसलिए, भौतिक तथ्यों को बताने की आवश्यकता का पालन न करने के परिणामस्वरूप याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

14. इस स्तर पर, हम वी. एस. अच्युतानंदन के मामले में तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ के इस न्यायालय के एक प्रसिद्ध निर्णय का उपयोगी संदर्भ दे सकते हैं, जिस पर वास्तव में पहले प्रतिवादी द्वारा भरोसा किया जाता है। उक्त निर्णय का कंडिका 15 इस प्रकार है:

"15. इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि चुनाव याचिका को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि इसने कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं किया क्योंकि विद्वत विचारण न्यायाधीश के अनुसार भ्रष्टाचार के बारे में आरोप अस्पष्ट थे और कथित भ्रष्टाचार के "भौतिक तथ्यों और पूर्ण विवरणों" का खुलासा नहीं किया था। यह स्पष्ट है कि विद्वत विचारण न्यायाधीश ने भ्रष्ट व्यवहार के संबंध में आरोपों के "भौतिक तथ्यों" और "भौतिक विवरणों" के बीच अंतर नहीं किया जैसा कि अधिनियम की धारा 123 के तहत परिभाषित किया गया है। इस मुद्दे पर कानून अच्छी तरह से स्थापित है जिस पर विद्वत विचारण न्यायाधीश द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है या उसकी सराहना नहीं की गई है। बलवान सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण [ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 770] (1960) 3 एस. सी. आर. 91], सामंत एन. बालकृष्ण बनाम जॉर्ज फर्नांडीज [(1969) 3 एस. सी. सी. 238], विरेन्द्र कुमार सकलेचा बनाम जगजीवन [(1972) 1 एस. सी. सी. 826], उद्धव सिंह बनाम माधव राव सिंधिया [(1977) 1 एस. सी. सी. 511], एफ. ए. सापा बनाम सिंगोरा [(1991) 3 एस. सी. सी. 375] और गजानन कृष्णाजी बापट बनाम दत्ताजी राघोबाजी मेघे [(1995) 5 एससीसी 347] और कई अन्य प्राधिकरण, एल. आर. में यह न्यायालय। शिवरामगौड़ा बनाम टी. एम. चंद्रशेखर [(1999) 1 एससीसी 666 (1998) 6 स्केल 361] के मामले सहित इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद यह अभिनिर्धारित किया कि जबकि "भौतिक तथ्यों" का अभिवचन करने में विफलता चुनाव याचिका के लिए घातक है और चुनाव याचिका दायर करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के बाद ऐसे भौतिक तथ्यों को पेश करने के लिए अभिवचन का कोई संशोधन अनुमत नहीं है, "भौतिक विवरणों" की अनुपस्थिति को बाद के

चरण में एक उचित संशोधन द्वारा ठीक किया जा सकता है। एक चुनाव याचिका शुरु में ही केवल इसलिए खारिज नहीं की गयी कि आरोपित भ्रष्ट व्यवहार का पूर्ण वितरण निर्दिष्ट नहीं था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि भौतिक तथ्य ऐसे प्राथमिक तथ्य हैं जिन्हें कार्रवाई के कारण के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए एक पक्ष द्वारा मुकदमे में साबित किया जाना चाहिए। चुनाव याचिका में कोई विशेष तथ्य एक भौतिक तथ्य है या नहीं, और इस तरह, अभिवचन की आवश्यकता एक ऐसा प्रश्न है जो लगाए गए आरोप की प्रकृति, आधार पर और मामले की विशेष परिस्थितियों के आलोक में निर्भर करता है। उधव सिंह मामले [(1977) 1 एस. सी. सी. 511] में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: (एससीसी पृष्ठ 523, पैरा 42-43)

"संक्षेप में, वे सभी तथ्य जो याचिकाकर्ता को कार्रवाई के पूर्ण कारण के साथ प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हैं, वे 'भौतिक तथ्य' हैं जिनका अनुरोध किया जाना चाहिए, और एक भी भौतिक तथ्य का अनुरोध करने में विफलता धारा 83 (1) (ए) के जनादेश की अवज्ञा के बराबर है।

दूसरी ओर, 'विवरण', 'पक्ष द्वारा स्थापित मामले का विवरण' है। इसलिए धारा 83 (1) के खंड (बी) के विचार के भीतर 'सामग्री विवरण' का अर्थ उन सभी विवरणों से होगा जो याचिका में पहले से ही अनुरोध किए गए सामग्री तथ्यों को बढ़ाने, परिष्कृत करने और सुशोभित करने के लिए खंड (ए) की आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य है। 'विवरण' पहले से खींची गई तस्वीर की मूल रूपरेखा को अंतिम रूप देने के उद्देश्य को पूरा करते हैं, ताकि इसे पूर्ण, अधिक विस्तृत और अधिक जानकारीपूर्ण बनाया जा सके।'

(जोर जोड़ा गया)

15. न्यायिक राय की सर्वसम्मति यह है कि कथित भ्रष्ट व्यवहार से संबंधित भौतिक तथ्यों को प्रस्तुत करने में विफलता चुनाव याचिका के लिए घातक है। भौतिक तथ्य प्राथमिक तथ्य हैं जिन्हें कार्रवाई के कारण के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए एक पक्ष द्वारा परीक्षण पर साबित किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, याचिका में किए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए, 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के अंतर्गत आने वाले भ्रष्ट आचरण के आरोप को एक भी भौतिक तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रथम प्रत्यर्थी ने केवल इतना अनुरोध किया है कि उसने निर्वाचन अधिकारी और अन्य अधिकारियों को अभ्यावेदन देकर अपीलार्थी की ओर से भ्रष्ट आचरण के बारे में शिकायत की है। भ्रष्ट प्रथा की प्रकृति क्या है, इसका संक्षिप्त में भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए, चुनाव याचिका में भौतिक तथ्य, जो पहले प्रतिवादी के अनुसार भ्रष्ट व्यवहार का गठन करते हैं, का अनुरोध नहीं किया गया था।

16. इस स्तर पर, हम इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं - धरतिपकर मदन लाल अग्रवाल का मामला और विशेष रूप से कंडिका संख्या में 13 और 14 जो इस प्रकार है:-

"13. अपीलार्थी की यह शिकायत कि प्रारंभिक आपत्तियों पर विचार करते हुए और आदेश VII नियम 11 के तहत चुनाव याचिका को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने याचिका में संशोधन करने और याचिका में कथित भ्रष्ट आचरण के आवश्यक विवरण और विस्तार प्रदान करके कमियों को दूर करने के अपीलार्थी के अवसर को वंचित कर दिया, किसी भी योग्यता से रहित है। सबसे पहले, अपीलार्थी संशोधन आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र, लेकिन किसी भी स्तर पर उन्होंने कोई संशोधन आवेदन करने की कोई इच्छा व्यक्त नहीं की और न ही उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष इस आशय का कोई आवेदन किया। अपीलार्थी के लिए यह आवेदन करने के लिए छुट थी लेकिन उसने स्वयं ऐसा

कोई आवेदन नहीं किया था। उच्च न्यायालय अपीलार्थी को अभिवचनों में संशोधन करने या उसके लिए स्वतः ही समय देने का निर्देश देने के लिए किसी कानूनी दायित्व के अधीन नहीं था। दूसरा, धारा 83 द्वारा आवश्यक भ्रष्ट आचरण के आरोप पूर्ण नहीं थे और वे कार्रवाई का कोई कारण प्रस्तुत नहीं करते थे, सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद किया गया कोई भी संशोधन की अनुमति नहीं हो सकता था जो चुनौती का नया आधार उठाने के बराबर होगा। हालाँकि, सवाल यह नहीं उठता है क्योंकि अपीलार्थी ने कोई संशोधन आवेदन दायर नहीं किया था। हमारे समक्ष इस अपील की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने चुनाव याचिका में संशोधन के लिए आवेदन किए हैं जिन पर हम बाद में विचार करेंगे।

14. उच्च न्यायालय के आदेश की शुद्धता निर्धारित करने के लिए चुनाव याचिका के विभिन्न कंडिकाओं पर विचार करने से पहले हम चुनाव के अधिकार की प्रकृति, निर्वाचित होने के अधिकार और चुनाव पर विवाद करने के अधिकार और चुनाव याचिका के मुकदमे को ध्यान में रखना आवश्यक समझते हैं। चुनाव लड़ने या चुनाव याचिका के माध्यम से चुनाव पर सवाल उठाने का अधिकार न तो सामान्य कानून है और न ही मौलिक अधिकार है, बल्कि यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के वैधानिक प्रावधानों द्वारा विनियमित एक वैधानिक अधिकार है। इन मामलों में कोई मौलिक या सामान्य कानून अधिकार नहीं है। एन. पी. पोन्नूस्वामी बनाम निर्वाचन अधिकारी [(1952) 1 एस. सी. सी. 94:ए. आई. आर. 1952 एससी 64:1952 एससीआर 218:1 ई. एल. आर 133], जगन नाथ बनाम जसवंत सिंह [ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 210:1954 एससीआर 892:9 ई. एल. आर. 231], ज्योति बसु बनाम देवी घोषाल [(1982) 1 एस. सी. सी.

691:ए. आई. आर. 1982 एससी 983:(1982) 3 एससीआर 318] में इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला द्वारा अच्छी तरह साबित होती है। इन निर्णयों ने इस कानूनी स्थिति को तय कर दिया है कि वैधानिक प्रावधानों के बाहर चुनाव पर विवाद करने का कोई अधिकार नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एक पूर्ण और स्व-निहित संहिता है जिसके भीतर चुनाव या चुनाव विवाद के संबंध में दावा किए गए किसी भी अधिकार को पाया जाना चाहिए। सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अधिनियम की धारा 87 द्वारा अनुमत सीमा तक लागू होते हैं। अधिनियम की योजना जैसा कि पहले देखा गया है, यह दर्शाती है कि अधिनियम की धारा 100 में निहित आधारों पर धारा 80 द्वारा प्रदान किए गए कानून के तहत एक चुनाव पर सवाल उठाया जा सकता है। धारा 83 में कहा गया है कि यह प्रावधान करने में अनिवार्य प्रावधान है कि एक चुनाव याचिका में भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा और भ्रष्ट आचरण का पूरा विवरण होगा। दलीलों को धारा 83 द्वारा विनियमित किया जाता है और यह चुनाव याचिकाकर्ता पर प्रत्येक भ्रष्ट प्रथा के आवश्यक तथ्यों, विवरणों और विवरणों को सटीकता के साथ देना अनिवार्य बनाता है। यदि चुनाव याचिका अधिनियम की धारा 100 के तहत आधार बनाने में विफल रहती है तो इसे सीमा पर विफल होना चाहिए। भ्रष्ट आचरण के आरोप आपराधिक आरोपों की प्रकृति में हैं, यह आवश्यक है कि आरोपों में कोई अस्पष्टता न हो ताकि लौटे उम्मीदवार को पता चल सके कि उसे किस मामले से मिलना है। यदि आरोप अस्पष्ट और सामान्य हैं और भ्रष्टाचार के विवरण अभिवचनों में नहीं बताए गए हैं, तो चुनाव याचिका की सुनवाई कार्रवाई के कारण के अभाव में आगे नहीं बढ़ सकती है। कानून का जोर इधर-उधर सौतेला और भटकने वाली पूछताछ से बचने के लिए है। इसलिए न्यायालय के लिए यह

आवश्यक है कि वह भ्रष्ट आचरण से संबंधित अभिवचनों की सख्त तरीके से जांच करे।”

(जोर दिया गया)

17. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 83 चुनाव याचिकाकर्ता के लिए प्रत्येक भ्रष्ट प्रथा के आवश्यक तथ्य, विवरण और विवरण को सटीकता के साथ देना अनिवार्य बनाती है। इस मामले में, आवश्यक तथ्य पूरी तरह से गायब हैं। आरोप बहुत अस्पष्ट और सामान्य प्रकृति के हैं और इसलिए, भ्रष्ट आचरण के आधार पर आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं है। इसलिए, हमारे विचार में, कंडिकाएँ 6 और 7 में किए गए अभिकथन धारा 123 द्वारा विचारित भ्रष्ट प्रथाओं के आधार पर आगे बढ़ने के लिए उपलब्ध कार्रवाई का कारण नहीं हैं। कंडिकाएँ 8 में चुनाव के परिणाम का विवरण है। कंडिकाएँ 2 से 4 और 8 औपचारिक प्रकृति के हैं और बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं हैं।

18. कंडिका 9 में फिर से अस्पष्ट और सामान्य आरोप हैं कि अपीलार्थी और छठे प्रतिवादी ने चुनावी कदाचार और भ्रष्ट आचरण किया है। यह कंडिका भी भौतिक तथ्यों से रहित है। पैराग्राफ 9 (ए) जोड़ा गया है जिसमें केवल एक वाक्य है कि अपीलार्थी और छठे प्रतिवादी के नामांकन की स्वीकृति अवैध है। इस दलील के समर्थन में एक भी भौतिक तथ्य का अनुरोध नहीं किया गया है कि नामांकन पत्र की स्वीकृति अनुचित है।

19. अपीलार्थियों द्वारा किए गए आवेदनों को अस्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने पैराग्राफ 19 और 20 में निर्देश जारी किए थे जो इस प्रकार हैं:

"19. इस मामले में, जैसा कि पहले ही अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि चुनाव याचिका भौतिक तथ्यों और विवरणों का खुलासा करती है और प्रत्यर्थी/निर्वाचन अधिकारी को भेजी गई सीडी, तस्वीरों आदि की प्रति आवेदकों इसमें प्रतिवादीगण 5 एवं

6 को नहीं दी गई है। प्रथम प्रतिवादी/चुनाव याचिकाकर्ता ने चुनाव याचिका में कुछ भी नया नहीं कहा है, ये दस्तावेज पहले ही चुनाव के दौरान 5 वें प्रतिवादी/निर्वाचन अधिकारी को भेजे जा चुके हैं। लौटाए गए उम्मीदवार/5 वें उत्तरदाता ने इनकार नहीं किया है और मुकदमे के समय इस पर निर्णय लिया गया। इसलिए, प्रथम प्रत्यर्थी/चुनाव याचिकाकर्ता की ओर से यह आवश्यक है कि वह इस न्यायालय के समक्ष ईमेल, तस्वीरें, सीडी और वीडियो फुटेज आदि की प्रतियां प्रस्तुत करे और इसे आवेदकों/चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं 5 और 6 को प्रदान करे।

20. उपरोक्त अवलोकन के साथ, तीनों आवेदनों को खारिज किया गया। यह न्यायालय प्रथम प्रत्यर्थी/चुनाव याचिकाकर्ता को इस आदेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर इस न्यायालय के समक्ष सभी प्रासंगिक दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश देता है अर्थात्, चुनाव के दौरान 5 वें प्रत्यर्थी/निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दायर किए गए ईमेल, फोटो और वीडियो फुटेज आदि, और उन सामग्रियों को आवेदकों/चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं को देने के लिए भी।”

(जोर जोड़ा गया)

20. हमें यहां ध्यान देना चाहिए कि चुनाव याचिका के साथ दायर दस्तावेजों की सूची में ईमेल, तस्वीरें और वीडियो फुटेज पर भरोसा नहीं किया गया है। सबसे ऊपर, ये दस्तावेज विवरण का गठन करेंगे न कि भौतिक तथ्यों का। दूसरा, उच्च न्यायालय के पास अपीलार्थी और छोटे प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदनों को खारिज करते समय चुनाव याचिकाकर्ता को उक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड में दाखिल करने का निर्देश देने का कोई कारण नहीं था। दस्तावेज प्रस्तुत प्रस्तुत की अनुमति लेना पहले प्रतिवादी के लिए था। प्रथम प्रत्यर्थी ने कभी ऐसी अनुमति नहीं मांगी। यदि दस्तावेज

प्रस्तुत किए जाते हैं, तो भी वे दलीलों में बिना किसी आधार के होंगे। इसलिए उक्त निर्देश को बनाए रखना भी बहुत मुश्किल है।

21. जैसा कि पहले कहा गया था, कंडिकाएँ 3 और 4 अनावश्यक हैं, जो चुनाव घोषित होने के बाद हुई किसी घटना से संबंधित नहीं हैं। इसलिए, उक्त कंडिका को अप्रासंगिक होने के कारण दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश VI के नियम 16 के तहत हटाने का आदेश देना होगा। कंडिका 5 कार्रवाई के कथित कारण के लिए सामग्री नहीं है। कंडिकाएँ 6, 7 और 9 भ्रष्ट प्रथाओं के आरोपों के संबंध में किसी भी भौतिक तथ्य का खुलासा नहीं करते हैं। चूंकि भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में भौतिक तथ्यों का अनुरोध नहीं किया गया है, इसलिए जहां तक भ्रष्टाचार के आधार का संबंध है, चुनाव याचिका कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करती है। इसलिए, इन कंडिकाओं को भी हटा दिया जाना चाहिए। जैसा कि पहले कहा गया है, नामांकन पत्र की अनुचित स्वीकृति का आधार भौतिक तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं है। किसी भी मामले में, नामांकन पत्र की अनुचित स्वीकृति का आधार अब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि अपीलार्थी का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। इसलिए, ऊपर दर्ज किए गए निष्कर्षों को देखते हुए, चुनाव याचिका को लंबित रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तदनुसार, हम उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को खारिज करते हैं और अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदनों को याचिका की अस्वीकृति और/या अप्रासंगिक कंडिकाओं को हटाने के लिए अनुमति देते हैं। उच्च न्यायालय मद्रास के समक्ष लंबित 2017 की चुनाव याचिका संख्या 1 खारिज कर दी गई है। अर्थ दंड के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

दिव्या पांडे

अपीलों का निपटारा किया गया

(वरुण धोंड और शेवाली मोंगा, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)